

पत्रांक-BRLPS/LSBA/Proj/05/16/ 213

दिनांक- 15-06-18

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०,
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक ।

सेवा में

उपविकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
बेगुसराय, बिहार ।

विषय:- निर्मल ग्राम पंचायतों में कार्य प्रारंभ करने हेतु मांगी गयी दिशा-निर्देश के संबंध में ।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-267-(जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बेगुसराय), दिनांक-
08.06.2018.

महाशय,

उपरोक्त प्रसंगाधीन विषय में सूचित करना है कि राज्य में खुले में शौच से मुक्त घोषित ग्राम पंचायत से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में विभागीय पत्रांक- 123, दिनांक-03.03.2017 एवं पत्रांक- 36, दिनांक-03.05.2017, पत्रांक-705, दिनांक-23.02.18, पत्रांक-798, दिनांक-23.03.2018 द्वारा स्मारित किया गया था लेकिन अभी तक जिले से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में संबंधित ग्राम पंचायत से प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में समर्पित करने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन



(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि: जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बेगुसराय को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।



(राजीव कुमार सिंह)